कार्यालय : भोजपुर जिला परिषद, आरा

आदेश

शिक्षा विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 43 दिनांक 13.01.2020 के निदेश के आलोक में जिला परिषद, भोजपुर अन्तर्गत छठे चरण में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के क्रम में प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा–2011 में सम्मलित एवं वर्ष 2012 में उतीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बी.एड. के लिए सत्र 2015–17 तक नामांकित हुए हो और वर्ष 2018 तक जिनका परीक्षाफल प्रकाशित हो गया हो, वे छठे चरण के नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थी माने जायेंगे। इसी प्रकार बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा–2011, जिसकी पुर्न परीक्षा वर्ष 2013 में जिन परीक्षा केन्द्रों के लिए हुई थी एवं वर्ष 2013 में परीक्षाफल प्रकाशित हुआ था, से संबंधित अप्रशिक्षित उतीर्ण अभ्यर्थी, जो बी.एड. के लिए सत्र 2016–18 तक नामांकित हुए हो और 01.08.2019 तक जिनका परीक्षाफल प्रकाशित हो गया हो वे भी छठे चरण के नियोजन के लिए पात्र अभ्यर्थी माने जायेंगे।

मुख्य अंतिम मेद्या सूची में शिक्षक पात्रता परीक्षा–2011 में उतीर्ण वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होनें निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रशिक्षण की योग्यता प्राप्त नहीं की है उनको किसी भी स्थिति में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र मिलान/जाँच में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा उनके अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जायेगा।

ह०/-

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
भोजपुर जिला परिषद, आरा।

ज्ञापांक ....487..../जि0प0, आरा, दिनांक 14/1/2020

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश को जिले के NIC के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, भोजपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

नोट :- काउंसेलिंग के लिए जैन स्कूल आरा में निर्धारित तिथि को 10 बजे पू० से 4 बजे अप० तक काउंसेलिंग कराया जायगा

ह०/- 14/1/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
भोजपुर जिला परिषद, आरा।

Scanned by CamScanner